2334. *(Transferred to the 19th* December; 1991).

Representation from employees of of Central Warehousing Corporation Calcutta Region

2335. PROF. SAURIN BHATTACHARYA:: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government have received any representations from employees of the Central Warehousing Corporation Calcutta Region regarding, their persecution in various forms by the authorities; and

(b) if so, what steps have been taken to remedy this situation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI): (a) The Central Warehousing Corporation Workers Union (Calcutta Region) had made representations alleging harassment of employees by the Corporation's regional management.

(b) The Union had resorted to agitation mainly on the issue of transfers of certain employees. The Regional Labour Commissioner intervened in the matter. As a result, the agitation was called off by the Union on 19-9.1991.

Possession of Kantapukur godown for Central Warehousing Corporation

2338. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that possession of Kantapukur godown for Central Warehousing Corporation was taken without any survey;

(b) whether it is also a fact that because of low plinth of the godown huge stock of newsprint was damaged in July, 1991, resulting in loss by the Central Warehousing Corporation; and

(c) if so, what action has been taken against those found responsible therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI): (a) No, Sir. The godowns at Kantapukur were taken over by Central Warehousing Corporation (CWC) only after a joint inspection by the Officers of State Trading Corporation, whose stocks were to be kept, Port Trust and CWC,

(b) The godowns were taken over by CWC after July, 1991, i.e. on 2-8-1991. The damage to newsprint occurred when water entered one of the godowns due to the choking of an underground drain during heavy rains in Calcutta in August, 1991. Since the stocks were insured, CWC did not suffer any loss on this account.

(c) CWC does not consider any officer to be responsible for the mishap.

नई चीनी मिलों के लिए ऋण

2337. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 अक्तूबर, 1991 के फाइनैन्शियल एक्सप्रेस में "अनसरटैन्टी लम्स लार्ज ओवर न्यू शूगर यूनिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों के दौरान देश में नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु अनेक कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान कितने लाइसेंस जारी किये गये थे और प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी थी ; और

(ग) क्या यह सच है कि वित्तीय संस्थाओं ने इन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु ऋण देने से इन्कार कर दिया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) (क) और (ख) जी, हां। पिछले दो चीनी वर्षों के (अक्तूबर-सितंबर)

के दौरान देश में 2500 टी.सी.डी. (टन चीनी प्रतिदिन) क्षमता की नई चीनी फैक्टरियां स्थापित करने के लिए 60 आशय पत्र जारी किए गए हैं।

(ग) वित्तीय संस्थाओं द्वारा नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए अवधि ऋण देने से इन्कार नहीं किया गया है। तथापि, इन संस्थाओं ने मुख्यत: परियोजना लागत में तेजी से वृद्धि के कारण इन चीनी फैक्ट्रियों की व्यवहार्यता पर संदेह व्यक्त किया है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से इस संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसकी जांच की जा रही है।

आगरा में पुरातात्विक भवनों का अनुरक्षण

2338. श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मोम अफजल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आगरा में पुरातत्व विभाग के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले स्मारकों के अनुरक्षण, उनकी मरम्मत और सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) पुरातत्व विभाग द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों की मरम्मत पर प्रतिवर्ष प्रति स्मारक कितनी राशि खर्च की जा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भावी पीढ़ियों के लिए केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के परिरक्षण की दृष्टि से, उनके रख रखाव के अलावा, उनकी वास्तविक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर संरक्षण के उपाय किए जाते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्मारकों के रख-रखाव तथा संरक्षण पर हुए व्यय का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

आगरा में पुरातात्विक भवनों का अनुरक्षण

क्र०सं०	स्मारकों के नाम	1988–89	1989–90	1990–91
		रु०	रु०	रु०
1.	ताज महल, आगरा	33,00,000	10,78,000	2,00,0000
2.	आगरा किला	6,44,000	11,60,000	9,49,000
3.	फतेहपुर सीकरी परिसर	5,98,000	6,37,000	10,84,000
4.	राम बाग, आगरा	89,537	58,266	1,31,263
5.	अकबर का मकबरा, सिकदरा	5,67,434	3,56,862	7,63,685
6.	इत्माद-उद्-दौला का मकबरा, आगरा	99,656	1,26,141	2,56,774